भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 964
10.02.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)

964. श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और 15वें वित्त आयोग द्वारा वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान वायु गुणवत्ता में सुधार और पार्टिकुलेट मैटर (PM10) के स्तर को कम करने में हुई प्रगति का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के प्रमुख शहरों में, पार्टिकुलेट मैटर के स्तर के लिए वैश्विक मानकों की तुलना में, वर्तमान वायु गुणवत्ता सुधार के बारे में ब्यौरा क्या है और 2025-26 तक इसमें 40% की कमी के लक्ष्य को पूरा करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) एनसीएपी के तहत शहरों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषकों और निर्माण से निकलने वाली धूल से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और अपशिष्ट जलाने जैसे प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों (वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा ने करने वाले शहरों और दस लाख से अधिक आबादी शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। एनसीएपी में वर्ष 2025-26 तक PM10 के स्तर में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय मानकों (60 माइक्रोग्राम/क्यूबिक मीटर) की प्राप्ति की परिकल्पना की गई है।

एनसीएपी एक बहु-क्षेत्रीय पहल है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। इसमें शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के माध्यम से स्रोत-विशिष्ट उपशमन उपायों पर बल दिया गया है।

सभी शहरों द्वारा अपने-अपने शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। ये योजनाएँ वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाना, निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों और औद्योगिक प्रदूषण को लक्षित करती हैं। इसके अलावा, शहर कार्य योजनाओं (सीएपीएस) के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू), अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (सतत), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका निर्माण करना (फेम-II), और नगर वन योजना (एनवीवाई), से प्राप्त संसाधनों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों से प्राप्त संसाधनों के समन्वय के माध्यम से धनराशि जुटाई जाती है।

इसके अलावा, 130 शहरों के लिए 19,611 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें 15वें वित्त आयोग मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड (एमपीसीसीएफ) के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों को 16,539 करोड़ रुपये का आवंटन और शेष 82 शहरों को वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 की अवधि के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण योजना के माध्यम से 3072 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। ये वायु प्रदूषण शमन उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण गैप फंडिंग के लिए निष्पादन से जुड़े अनुदान हैं और संबंधित शहरों में वायु प्रदूषण में कमी के लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर 11,541.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान एनसीएपी के तहत पार्टिकुलेट मैटर (PM10) के स्तर के संदर्भ में वायु गुणवत्ता में सुधार की प्रगति की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2009 में 12 मापदंडों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) अधिसूचित किए हैं। एनएएक्यूएस में भारतीय परिस्थितियों और पृष्ठभूमि वायु प्रदूषण के स्तर, प्रदूषक तत्व और स्रोत, प्रदूषकों के संपर्क में आने के जोखिम और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के स्तर के सापेक्ष वित्त वर्ष 2023-24 में वार्षिक PM10 सांद्रता के संदर्भ में 130 शहरों में से 97 शहरों ने वायु गुणवत्ता में सुधार दिखाया है। वर्ष 2017-18 के स्तर के सापेक्ष 2023-24 में PM10 के स्तर में 55 शहरों ने 20% और उससे अधिक की कमी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 18 शहरों ने PM10 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) (60 µg/m3) को पूरा

किया है। एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ग) और (घ): वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार ने कई सक्रिय कदम उठाए हैं, जैसे कि 1 अप्रैल 2018 से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और 1 अप्रैल 2020 से देश के बाकी हिस्सों में वाहनों के लिए बीएस-VI ईंधन मानदंड लागू करना, वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू करना और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 13 शहरों में कुल 1,130 ई-बसें चलाई गई हैं और 16 शहरों में 163 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत, इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती के माध्यम से शहरी परिवहन को बढ़ाने के लिए कुल ₹57,613 करोड़ योजना परिव्यय में से ₹13,778 करोड़ का आवंटन किया गया है। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत कुल 76 एनसीएपी शहर 6,889 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पात्र हैं। अब तक 46 एनसीएपी शहरों में 3,989 बसें और 61 डिपो स्वीकृत किए गए हैं ।

इसके अलावा, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनसीएपी शहरों में 64 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) और 130 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) स्थापित करने का निदेश दिया है। अब तक, 22 आरवीएसएफ चालू हैं, 11 स्वीकृत हैं, और 18 एटीएस काम कर रहे हैं, तथा 42 और स्वीकृत किए गए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए दिनांक 06.01.2025 को पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग अवधि समाप्ति वाहन) नियम, 2025 अधिसूचित किया।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) की स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम 2.0) योजना के तहत, 130 शहरों में 42500 टीपीडी की ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं, 130 शहरों में 7,300 टीपीडी की निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट सुविधाएं, 93 शहरों में 11.19 करोड़ टन पुराने अपशिष्ट का निपटान और 118 शहरों में 516 मैकेनिकल रोड स्वीपर की खरीद का कार्य किया गया है।

खुले में कचरा जलाने की समस्या से निपटने के लिए, सभी 130 शहरों में नागरिकों द्वारा शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और स्थानीय निकायों द्वारा त्वरित निवारण हेतु जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) ऐप विकसित किया गया है और शुरू किया गया है। इसके अलावा, एनसीएपी के तहत स्थानीय निकायों को कचरा जलाने की संभावना वाले स्थानों को साफ करने का निदेश दिया गया है।

औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 130 शहरों में 11,728 उद्योगों में से 4,933 ने स्वच्छ ईंधन अपना लिया है। इसके अलावा, औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सहमति तंत्र और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लागू ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत जारी पर्यावरण मंजूरी के माध्यम से की जाती है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणियों के उद्योगों को ऑनलाइन उत्सर्जन और अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निदेश दिया गया है।

वाहन और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण सहित वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रमुख उपाय **अनुबंध-III** में संलग्न हैं।

***

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान 130 शहरों में वार्षिक औसत PM10 स्तर (µg/m3)					
राज्य	**क्र. सं.**	**शहर**	**वित्त वर्ष 2021-2022**	**वित्त वर्ष 2022-2023**	**वित्त वर्ष 2023-24**
आंध्र प्रदेश	1	अनंतपुर	52	57	61
	2	चित्तूर	49	52	59
	3	एलुरु	65	66	68
	4	गुंटूर	58	60	61
	5	कडपा	54	57	42
	6	कुरनूल	61	64	56
	7	नेल्लोर	55	56	52
	8	ओंगोल	52	50	56
	9	राजमुंदरी	68	68	76
	10	श्रीकाकुलम	75	71	68
	11	विजयवाड़ा	67	90	61
	12	विशाखापत्तनम	98	116	120
	13	विजयनगरम	71	75	73
असम	14	गुवाहाटी	103	106	119
	15	नगांव	104	121	107
	16	नलबाड़ी	99	128	127
	17	सिलचर	45	49	32
	18	शिवसागर	47	42	41
बिहार	19	पटना	145	193	178
	20	गया	97	150	104
	21	मुजफ्फरपुर	153	175	168
चंडीगढ़	22	चंडीगढ़	97	116	116
छत्तीसगढ	23	कोरबा	61	70	61
	24	दुर्ग भिलाईनगर	58	70	68
	25	रायपुर	61	78	76
दिल्ली	26	दिल्ली	196	209	208
गुजरात	27	अहमदाबाद	113	91	98
	28	राजकोट	116	92	92
	29	सूरत	100	118	103
	30	वडोदरा	121	104	95
हरियाणा	31	फरीदाबाद	209	212	190
हिमाचल प्रदेश	32	बद्दी	132	145	111
	33	दमताल	64	64	52

	34	काला अम्ब	114	93	100
	35	नालागढ़	84	78	68
	36	पौंटा साहिब	90	103	90
	37	परवाणू	35	47	39
	38	सुन्दर नगर	47	46	44
जम्मू	39	जम्मू	170	158	101
	40	श्रीनगर	111	88	96
झारखंड	41	धनबाद	235	203	138
	42	जमशेदपुर	110	126	130
	43	रांची	110	107	107
कर्नाटक	44	बेंगलुरु	67	68	70
	45	देवनागरी	57	61	66
	46	गुलबर्गा / कलबुर्गी	84	74	56
	47	हुबली -धारवाड़	68	76	71
मध्य प्रदेश	48	भोपाल	116	124	113
	49	देवास	81	105	99
	50	ग्वालियर	109	145	136
	51	इंदौर	103	109	99
	52	जबलपुर	115	125	91
	53	सागर	79	83	74
	54	उज्जैन	114	111	84
महाराष्ट्र	55	औरंगाबाद	86	107	98
	56	अकोला	64	62	85
	57	अमरावती	66	68	87
	58	बदलापुर	94	146	152
	59	चंद्रपुर	104	121	102
	60	ग्रेटर मुंबई	106	116	94
	61	जलगांव	59	66	97
	62	जलना	93	93	102
	63	कोल्हापुर	81	80	86
	64	लातूर	57	53	66
	65	नागपुर	68	97	94
	66	नासिक	59	62	72
	67	नवी मुंबई	97	102	98
	68	पुणे	85	96	98
	69	सांगली	60	69	77
	70	सोलापुर	60	76	96
	71	थाणे	130	115	111

	72	उल्हासनगर	77	128	149
	73	वसई विरार	174	155	125
मेघालय	74	बर्नीहाट	181	131	104
नागालैंड	75	दीमापुर	84	91	97
	76	कोहिमा	69	72	68
ओडिशा	77	अंगुल	97	98	167
	78	बालासोर	74	82	124
	79	भुवनेश्वर	95	118	114
	80	कटक	90	105	129
	81	कलिंग नगर	114	104	101
	82	राउरकेला	106	126	111
	83	तालचेर	81	93	113
पंजाब	84	अमृतसर	118	120	119
	85	डेरा बाबा नानक	71	58	56
	86	डेरा बस्सी	98	104	102
	87	जालंधर	130	126	111
	88	खन्ना	106	103	100
	89	लुधियाना	150	163	161
	90	मंडी गोविंदगढ़	122	131	126
	91	नया नांगल	70	63	59
	92	पटियाला	109	103	91
राजस्थान	93	जयपुर	126	143	148
	94	अलवर	112	116	127
	95	जोधपुर	161	146	124
	96	कोटा	112	128	124
	97	उदयपुर	122	128	121
तमिलनाडु	98	चेन्नई	57	66	63
	99	मदुरै	53	68	68
	100	त्रिची	45	47	47
	101	तूतीकोरिन	67	54	57
तेलंगाना	102	हैदराबाद	88	83	81
	103	नलगोंडा	70	55	59
	104	संगारेड्डी	83	86	81
उत्तर प्रदेश	105	आगरा	146	118	116
	106	इलाहाबाद	119	125	124
	107	गाजियाबाद	216	198	172
	108	कानपुर	170	143	125
	109	लखनऊ	148	149	137
	110	मेरठ	186	177	149

	111	वाराणसी	114	94	73
	112	अनपरा	154	166	166
	113	बरेली	175	110	80
	114	फिरोजाबाद	137	106	102
	115	गजरौला	155	194	167
	116	गोरखपुर	122	102	111
	117	झांसी	128	118	96
	118	खुर्जा	173	150	104
	119	मुरादाबाद	155	116	115
	120	नोएडा	203	202	182
	121	रायबरेली	112	102	91
उत्तराखंड	122	देहरादून	146	117	109
	123	काशीपुर	119	112	98
	124	ऋषिकेश	117	103	76
पश्चिम बंगाल	125	आसनसोल	112	147	108
	126	बैरकपुर	85	84	99
	127	दुर्गापुर	168	139	106
	128	हल्दिया	94	91	87
	129	हावड़ा	125	125	111
	130	कोलकाता	105	97	94

अनुबंध-II

वित्त वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वित्त वर्ष 2023-24 में 130 शहरों में PM10 सांद्रता में सुधार				
क्र. सं.	शहर	2017-18 में PM10 सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)	2023-24 में PM10 सांद्रता (µg/m3) (वार्षिक औसत)	वर्ष 2017-18 की तुलना में 2023-24 में PM10 सांद्रता में प्रतिशत कमी (%)
1.	वाराणसी	230	73	68
2.	बरेली	207	80	61
3.	फिरोजाबाद	247	102	59
4.	देहरादून	250	109	56
5.	धनबाद	315	138	56
6.	तूतीकोरिन	123	57	54
7.	नालागढ़	146	68	53
8.	मुरादाबाद	222	115	48
9.	खुर्जा	195	104	47
10.	त्रिची	88	47	47
11.	कोहिमा	127	68	46
12.	लखनऊ	253	137	46
13.	कानपुर	227	125	45
14.	कडपा	75	42	44
15.	शिवसागर	73	41	44
16.	सुन्दर नगर	78	44	44
17.	आगरा	202	116	43
18.	ग्रेटर मुंबई	161	94	42
19.	ऋषिकेश	129	76	41
20.	परवाणू	66	39	41
21.	बर्नीहाट	175	104	41
22.	अहमदाबाद	164	98	40
23.	गाजियाबाद	285	172	40
24.	राजकोट	150	92	39
25.	जालंधर	178	111	38
26.	रायबरेली	145	91	37
27.	अमृतसर	189	119	37
28.	बद्दी	174	111	36
29.	कोलकाता	147	94	36

30.	जम्मू	157	101	36
31.	सिलचर	49	32	35
32.	जोधपुर	189	124	34
33.	विजयवाड़ा	91	61	33
34.	नया थका हुआ	87	59	32
35.	दीमापुर	142	97	32
36.	खन्ना	142	100	30
37.	दुर्गापुर	150	106	29
38.	कुरनूल	79	56	29
39.	प्रिय बाबा नानक!	79	56	29
40.	वडोदरा	133	95	29
41.	इलाहाबाद	169	124	27
42.	आसनसोल	147	108	27
43.	श्रीनगर	132**	96	27
44.	हैदराबाद	110	81	26
45.	गोरखपुर	150	111	26
46.	अनंतपुर	78	59	24
47.	रांची	141	107	24
48.	बेंगलुरु	92	70	24
49.	अकोला	111	85	23
50.	दुर्ग भिलाई नगर	86	68	21
51.	सूरत	130	103	21
52.	नोएडा	229	182	21
53.	हावड़ा	139	111	20
54.	थाणे	138	111	20
55.	लातूर	82	66	20
56.	नेल्लोर	64	52	19
57.	गजरौला	204	167	18
58.	फरीदाबाद	229**	190	17
59.	अलवर	152	127	16
60.	चित्तूर	70	59	16
61.	काला अम्ब	118	100	15
62.	मंडी गोविंदगढ़	148	126	15
63.	अमरावती	102	87	15
64.	पटियाला	106	91	14
65.	जयपुर	172	148	14
66.	ओंगोल	65	56	14
67.	दिल्ली	241	208	14
68.	चंद्रपुर	118	102	14

69.	नासिक	82	72	12
70.	झांसी	109	96	12
71.	सांगली	87	77	11
72.	देवनागरी	74	66	11
73.	कोटा	139	124	11
74.	राजमुंदरी	85	76	11
75.	हुबली -धारवाड़	79	71	10
76.	जबलपुर	101	91	10
77.	उज्जैन	93	84	10
78.	गुंटूर	66	61	8
79.	कलिंग नगर	109	101	7
80.	मेरठ	159	149	6
81.	नागपुर	100	94	6
82.	एलुरु	72	68	6
83.	मदुरै	72	68	6
84.	दमताल	55	52	5
85.	हल्दिया	92	87	5
86.	अनपरा	175	166	5
87.	बदलापुर	160	152	5
88.	उदयपुर	127	121	5
89.	संगारेड्डी	85	81	5
90.	चेन्नई	66	63	5
91.	लुधियाना	168	161	4
92.	पुणे	102	98	4
93.	जमशेदपुर	135	130	4
94.	कोल्हापुर	89	86	3
95.	उल्हासनगर	153	149	3
96.	श्रीकाकुलम	69	68	1
97.	काशीपुर	99	98	1
98.	तालचेर	113	113	0
99.	नलगोंडा	59	59	0
100.	भोपाल	112	113	-1
101.	सागर	73	74	-1
102.	विजयनगरम	72	73	-1
103.	चंडीगढ़	114	116	-2
104.	गुलबर्गा	55	56	-2
105.	जलना	99	102	-3
106.	पटना	172	178	-3
107.	कोरबा	57	59	-4

108.	पौंटा साहिब	84	90	-7
109.	ग्वालियर	126	136	-8
110.	रायपुर	70	76	-9
111.	नवी मुंबई	88	98	-11
112.	राउरकेला	99	111	-12
113.	मुजफ्फरपुर	147	168	-14
114.	बैरकपुर	86	99	-15
115.	गुवाहाटी	103	119	-16
116.	डेरा बस्सी	88	102	-16
117.	सोलापुर	81	96	-19
118.	देवास	83	99	-19
119.	इंदौर	82	99	-21
120.	वसई विरार	99	125	-26
121.	नगांव	82	107	-30
122.	औरंगाबाद	75	98	-31
123.	गया	79	104	-32
124.	भुवनेश्वर	85	114	-34
125.	जलगांव	70	97	-39
126.	कटक	93	129	-39
127.	नलबाड़ी	87	127	-46
128.	बालासोर	84	124	-48
129.	विशाखापत्तनम	76	120	-58
130.	अंगुल	97	167	-72

** फ़रीदाबाद और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के PM10 स्तर उपलब्ध नहीं हैं। फ़रीदाबाद के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के PM10 स्तर और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के PM10 स्तर को आधार रेखा माना गया है।

* पटनचेरू वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले शहर को हैदराबाद शहरी समूह के साथ विलय कर दिया गया है और तदनुसार एनसीएपी के तहत कवर किए गए शहरों की संशोधित संख्या 130 है।

अनुबंध-III

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपाय :

i. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं

ii. हाल ही में अधिसूचित/संशोधित उत्सर्जन मानक :

   क) ताप विद्युत संयंत्र

   ख) डीजल/पेट्रोल/सीएनजी जनरेटर सेट

   ग) औद्योगिक बॉयलर;

   घ) चूना भट्टियां

   ङ) ईंट भट्टे और ज़िग-ज़ैग प्रौद्योगिकी का रूपांतरण

   च) कैल्सीनेटेड पेटकोक उद्योग

   छ) हॉट मिक्स संयंत्र

iii. 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-VI (बीएस-VI) उत्सर्जन मानदंड लागू किए गए हैं।

iv. वाहन स्क्रैपिंग नीति, एमओआरटीएस द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण केन्द्रों के लिए नियम।

v. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम और ताप विद्युत संयंत्र द्वारा 100% राख उपयोग।

vi. अपशिष्ट श्रेणियों जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और प्रयुक्त तेल के लिए बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) विनियम शुरू किए गए।

vii. अधिक कचरा फैलाने की संभावना और कम उपयोगिता वाले 12 अभिज्ञात एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

viii. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले (पेलेट्स/ ब्रिकेट्स) के साथ न्यूनतम 5% फसल अवशेषों के उपयोग का अधिदेश।

ix. औद्योगिक क्षेत्रों को गंभीर और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए/एसपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

*****